उभरते उद्यमों के विकास का सशक्तीकरण*

के.सी. चक्रवर्ती

श्री बोधिसत्व गांगुली, उप कार्यकारी संपादक, दी इकनॉमिक टाइम्स, श्री परमजीत झवेरी, सीईओ, सिटीबैंक इंडिया, सुश्री परोमिता चटर्जी, ईटी नाउ, श्री वेणु श्रीनिवासन, अध्यक्ष, टीवीएस मोटर कंपनी लि., डॉ. स्वाति पिरामल, निदेशक - स्ट्रैटेजिक एलायन्सेज एण्ड कम्यूनिकेशन्ज, पिरामल हेल्थ केअर लि., प्रतिष्ठित विशेषज्ञगण, अन्य प्रतिष्ठित अतिथिगण, प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यगण, देवियो और सज्जनो।

2. प्रारंभ में मैं सिटीबैंक को 1812 में उसके गठन से 200 वर्ष पूरे करने के लिए बधाई देना चाहूँगा। वास्तव में यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज मैं यहाँ 'उभरते उद्यमों के विकास के सशक्तीकरण' पर थॉट लीडरशिप कांक्लेव में उपस्थित हूँ तथा देश में उभरते उद्यमों की कार्यकुशलता को बढाने के तरीकों पर अपने कुछ विचार व्यक्त करने का अवसर मुझे मिला है जो पिछले एक दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा देखी गई उच्च वृद्धि दर को बनाये रखने तथा उसमें और गति लाने के लिए भी अनिवार्य है। मेरा दृढ विश्वास है कि अर्थव्यवस्था में संवृद्धि का अगला स्तर व्यष्टि, छोटे और मध्यम स्तरीय उद्यमों (एमएसएमईएस) से आना होगा जो भारत की संवृद्धि दर को मौजूदा लगभग 7-8 प्रतिशत से आगे बढाकर मध्य और दीर्घ अवधि में एक धारणीय 9-10 प्लस प्रतिशत कर सकते हैं जो भारत की वांछनीय संवृद्धि दर मानी जाती है। हमें देश में एमएसएमई क्षेत्र का पोषण करने और इसे मजबूत करने की आवश्यकता है क्योंकि आज के एमएमएम उद्यम कल बडे औद्योगिक घरानों का रूप लेंगे अथवा आनेवाले समय में बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ (एमएनसी) भी बनेंगे। देश को एक उच्चतर और धारणीय संवृद्धि के पथ पर ले जाने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी विनिर्माण क्षमताओं का उल्लेखनीय रूप से संवर्धन करें। विनिर्माण करनेवाले एसएमई के लिए बडे पैमाने पर सेवा क्षेत्र के एसएमई पूरक होते हैं जो विनिर्माण क्षेत्र को विभिन्न सेवाएँ प्रदान करते हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र को चीन की तरह मजबूत करना अनिवार्य है क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र निर्यातों को बढाने और व्यापार अधिशेष निर्मित करने के लिए अत्यावश्यक है जिसका बाह्य (भुगतान संतुलन) मोर्चे पर देश की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में दूरगामी परिणाम होगा। इस समय इस बात की आवश्यकता है कि एमएमई को सशक्त कर दिया जाए ताकि अर्थव्यवस्था की वृद्धि की संचालक शक्ति के रूप में वे अपना उचित स्थान ले सकें।

3. इस पृष्ठभूमि में उभरते उद्यमों की वृद्धि को सशक्त बनाने के संबंध में आयोजित यह सभा महत्वपूर्ण हो जाती है। बढते हुए वैश्वीकरण के संदर्भ में एमएसएमई क्षेत्र नई चुनौतियों का सामना कर रहा है तथा इस क्षेत्र के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह अपनी कार्यकुशलता और उत्पादकता में वृद्धि करते हुए स्वयं को नये सिरे से तैयार करे जिससे वह दोनों घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर प्रतिस्पर्धी रह सके और अधिकाधिक वैश्वीकृत विश्व में उत्पन्न हो रहे नये अवसरों का लाभ उठा सके। मैं दी इकनॉमिक टाइम्स, जो अब तक देश में वित्तीय साक्षरता और जागरूकता व्याप्त करने में अग्रणी रहा है, को ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर इस सभा का आयोजन करने के लिए बधाई देता हूँ। इस प्रकार के मंचों पर जानकारीपूर्ण चर्चाओं से जनमत एकत्र करने और उसे आकार देने, सर्वसम्मति निर्मित करने, नीतिगत निविष्टियों को निश्चित रूप देने तथा अपेक्षित नीतिगत पहलों पर हमें प्रतिसूचना देने में सहायता मिलेगी।

अ. छोटे और मझौले उद्यम (एसएमई) क्षेत्र का महत्व

4. एसएमई को सकल देशी उत्पाद (जीडीपी) में प्रमुख अंशदाताओं तथा निर्यातों और रोजगार के लिए और भी बडे अंशदाताओं के रूप में सर्वत्र माना गया है। एसएमई नौकरियों का निर्माण तथा निम्न-आय समूहों के लिए आय का उत्पादन करते हुए उभरते बाजारों के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह आर्थिक संवृद्धि और सामाजिक स्थिरता को प्रोत्साहित करता है तथा एक गतिशील निजी क्षेत्र के विकास में भी योगदान करता है। बडे निगमों से युक्त अमेरिका जैसे देशों में भी एसएमई उत्पन्न रोजगार में अत्यंत अधिक प्रतिशत का अंशदान करते हैं। अध्ययनों से यह विदित होता है कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में औपचारिक एसएमई रोजगार के 45 प्रतिशत तक तथा जीडीपी के 33 प्रतिशत तक अंशदान करते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में परिचालित एसएमई के अंशदान को हिसाब में लिये जाने पर ये संख्याएँ उल्लेखनीय रूप से उच्चतर होंगी।

* डॉ. के. सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुंबई में 12 अप्रैल 2012 को इकनॉमिक टाइम्स थॉट लीडरशिप कांक्लेव में दिया गया मुख्य भाषण। इस व्याख्यान को तैयार करने में श्री आनंद प्रकाश द्वारा की गई सहायता के लिए हम आभारी हैं।

5. अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आइएफसी) और मैककिनसे एण्ड कंपनी (मैककिनसे) द्वारा हाल ही में किये गये एक अध्ययन के अनुसार उभरते बाजारों में लगभग 365 से 445 मिलियन एमएसएमईएस हैं जिनमें से 25 से लेकर 30 मिलियन औपचारिक रूप से एसएमई के रूप में वर्गीकृत हैं। ओईसीडी अर्थव्यवस्थाओं में एसएमई और व्यष्टि उद्यम फर्मों का 95 प्रतिशत से अधिक, रोजगार का 60-70 प्रतिशत, जीडीपी का 55 प्रतिशत और नई नौकरियों में सबसे बडा हिस्सा रखते हैं । एपीईसी क्षेत्र में एसएमई सभी व्यवसायों का लगभग 90 प्रतिशत हैं और श्रम शक्ति के 60 प्रतिशत तक नियोजित करते हैं। तथापि, वर्तमान में वे निर्यातों का लगभग 30 प्रतिशत ही उत्पन्न करते हैं। विकासशील देशों में कृषि क्षेत्र के बाहर के सभी फर्मों का 90 प्रतिशत से अधिक एसएमई और व्यष्टि उद्यम हैं जो जीडीपी के एक उल्लेखनीय अंश का उत्पादन करते हैं।

6. भारत के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका और उसका स्थान रोजगार के उत्पादन, निर्यातों और जनसंख्या के एक विशाल वर्ग के आर्थिक सशक्तीकरण में जो है, उस पर अधिक बल देने की आवश्यकता नहीं है। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा जारी किये गये आंकड़ों के अनुसार इस क्षेत्र में लगभग 26.1 मिलियन उद्यम हैं। यह क्षेत्र विनिर्मित उत्पादन का 45 प्रतिशत और जीडीपी का 8 प्रतिशत रखता है। देश से होनेवाले सभी निर्यातों में एमएसएमई का अंशदान 40 प्रतिशत के करीब है तथा इन्होंने लगभग 59.7 मिलियन लोगो को रोजगार उपलब्ध कराया है, जिसका स्थान केवल कृषि क्षेत्र के बाद ही है। भारत में एसएमई का कार्यनिष्पादन यद्यपि प्रभावशाली है, तथापि इसका स्थान चीन के बाद ही है जहाँ यह क्षेत्र कुल रोजगार का लगभग 75 प्रतिशत उपलब्ध कराता है, कुल उद्यमों में से इनका प्रतिशत लगभग 99 है तथा जीडीपी में इसका अंशदान लगभग 60 प्रतिशत है। जापान के मामले में 4.69 मिलियन एसएमई हैं जो कुल सभी उद्यमों में से 99.7 प्रतिशत हैं तथा कुल रोजगार में से ये 70 प्रतिशत उपलब्ध कराते हैं। एसएमई का अंश जापान के जीडीपी में 56.8 प्रतिशत है । कोरिया में एसएमई का स्थान रोगजार का लगभग 79 प्रतिशत और जीडीपी का 46 प्रतिशत है।

7. किसी अर्थव्यवस्था की समग्र कुल कारक उत्पादकता (टीएफपी)[1] (कार्यकुशलता, जैसी कि प्रायः परिभाषा दी गई है) तथा रोजगार उत्पादन और वितरणगत समानता, दोनों के प्रति एसएमई क्षेत्र के योगदान का भाग प्रौद्योगिकी-चयन के उसके आदर्श के बल पर आ जाता है। एसएमई प्रौद्योगिकी की प्रवृत्ति केवल निम्न औसत श्रम उत्पादकता प्राप्त करनेवाले व्यष्टि उद्यम की अत्यधिक श्रमप्रधान प्रौद्यिगिकियों एवं अधिक श्रम उत्पादकता प्राप्त करनेवाली बडी फर्मों की अत्यधिक पूँजीप्रधान प्रौद्योगिकियों के बीच मध्यवर्ती रहने की है, परंतु ये समग्र रूप में अर्थव्यवस्था के लिए उपलब्ध पूँजी की तुलना में प्रति श्रमिक अधिक पूँजी का उपयोग करते हैं। एसएमई क्षेत्र की मध्यवर्ती प्रौद्योगिकी की विशेषता इस क्षेत्र को पर्याप्त अथवा समुचित रोजगार के उत्पादन में एक विशेष भूमिका प्रदान करती है। कार्यकुशलता के तौर पर, कीमत कम करने और गुणवत्ता सुधारने की प्रतिस्पर्धा बडी फर्मों की अपेक्षा अधिक संभवतः एसएमई से आती है। संवृद्धि, विशेष रूप से निर्धन जनता के अनुकूल संवृद्धि अर्थात् अधिक साम्यिक और अंतर्विष्ट संवृद्धि के निर्माण में भी एसएमई क्षेत्र एक प्रमुख भूमिका अदा करता है। एसएमई किसी भी देश के नये और तेजी से उभरते उद्योंगों में अपने प्रमुख होने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं। इस संबंध में और अन्य बातों में एसएमई गतिकता (डाइनमिज्म) के साथ संबद्ध हैं।

8. वैश्वीकरण भी एसएमई क्षेत्र को मजबूत रखने के महत्व को बढाता है क्योंकि उन स्थितियों में जहाँ परिवहन लागतें कम नहीं हैं, वहाँ बडे निर्यातकों के लिए उप ठेकेदार उपलब्ध कराने में इसकी भूमिका बिलकुल महत्वपूर्ण हो सकती है। कम लागत वाले कार्यकुशल उप ठेकेदारों पर निर्भर होने की समर्थता बडे निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता को भरपूर बढा सकती है तथा यह जापान, ताइवान और कोरिया की सफलताओं को समर्थन देनेवाला एक महत्वपूर्ण कारक रही है।

आ. एसएमई के समक्ष चुनौतियाँ

9. एसएमई के सामने विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं समय पर और पर्याप्त वित्त की अनुपलब्धता, कच्चे माल की उपलब्धता, प्रौद्योगिकीगत अप्रचलन, बुनियादी संरचना की सुविधाओं का अभाव, विपणन संबंधी अडचनें, त्रुटिपूर्ण प्रबंधकीय और तकनीकी कौशल, इष्टतम से कम गुणवत्ता मानक, दुर्बलता, बडे उद्यमों से प्रतिस्पर्धा, वैश्वीकरण, अप्रतिस्पर्धी वास्तविक विनिमय दर, आदि। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में विश्व की अर्थव्यवस्था के खुल जाने तथा सूचना प्रौद्योगिकी के तीव्र और व्यापक प्रयोग के कारण छोटे उत्पादकों और विनिर्माताओं के लिए चुनौतियाँ आ खड़ी हुई हैं जिन्हें न केवल प्रतियोगिता के सामने टिके रहना है, बल्कि विश्व में तेजी से बदल रहे तकनीकी परिदृश्य में अपेक्षित गति के साथ बराबर चलना भी है। एसएमई की सहायता के लिए विकसित की गई विभिन्न प्रौद्योगिकियों के बीच यह विश्वास किया जाता है कि विनिर्माण में एसएमई के लिए उत्पादकता और लाभप्रदता दोनों को

[1] टीएफपी की परिभाषा उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त निविष्टियों की मात्रा द्वारा स्पष्ट न किये गये उत्पादन के अंश के रूप में दी गई है तथा यह आवश्यक रूप से ग्रहण करता है कि उत्पादन की प्रक्रिया में निविष्टियों का उपयोग कितनी कुशलता से और तीव्रता से किया गया है ।

बढाने के तौर पर सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) और स्वचालन की प्रौद्योगिकी सबसे आगे हैं। बढते हुए वैश्वीकरण से उत्पन्न होनेवाली चुनौतियों का सामना करने के लिए एसएमई के लिए यह आवश्यक है कि वे कुल कारक उत्पादकता (टीएफपी) द्वारा मापे गए रूप में अपनी कार्यकुशलता को बढाएँ।

(क) विकासशील देशों में एसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना

10. मेटकाफ, रामलोगन और उयारा (2003) ने कहते हैं कि प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, जिसे अवश्य बाजारों में प्रतिस्पर्धियों के संबंध में मापना चाहिए, को इस आधार पर निर्धारित किया जाता है कि उत्पादों, श्रम और पूँजी के लिए प्रचलित बाजार कितने कार्यकुशल और प्रभावी हैं। साथ ही, वे यह भी कहते हैं कि उद्यमवृत्ति; नये उत्पादक समूह का प्रवर्तन और नवोन्मेषण ऐसी संचालक शक्ति है कि वह नये प्रतियोगी लाभ तथा लाभ और वृद्धि के लिए नये अवसर निरंतर निर्मित करती है।

11. मेयेर-स्टैमर (1995) इस धारणा से सहमत हैं कि प्रतियोगात्मकता फर्म के स्तर पर निर्मित होती है, परंतु वह अंशतः एक प्रणालीगत संदर्भ से प्राप्त की जाती है तथा सरकार, उद्यमों और अन्य कर्मियों के बीच पारस्परिक क्रियाओं के जटिल प्रतिमानों से उभरती है एवं इस कारण से वह प्रत्येक समाज में विभिन्न रूप प्रदर्शित करेगी।

12. एसएमई विकास की रणनीतियाँ आवश्यक रूप से देश और संदर्भ विशिष्ट होंगी। परिवर्तन के लिए प्रत्येक देश के पास अपनी चुनौतियाँ, अवसर और प्राथमिकताएँ होंगी। देश के अनुसार उपलब्ध संसाधनों में भिन्नता होगी तथा इस कारण से प्राप्त परिणाम भी भिन्न-भिन्न होंगी। ऐसी विशिष्टता के होते हुए भी, एसएमई विकास के पाठ जो अधिकांश देशों के लिए लागू हैं उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- एसएमई के विकास के लिए शांति और स्थिरता एक मुख्य आवश्यकता है जो विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए अपेक्षित है। अध्ययन यह दर्शाते हैं कि युद्ध और अपराध निजी निवेश के संबंध में, विशेष रूप से विदेशी निवेशकों के लिए निवारक होते हैं।
- एसएमई विकास के लिए एक निकट मार्ग की रणनीति अपेक्षित है अर्थात् इसकी सफलता सुदृढ समष्टि-आर्थिक नीतियाँ कार्यान्वित करने के लिए सरकारों की सामर्थ्य, प्रेरक व्यष्टि-आर्थिक व्यवसाय परिवेश विकसित करने के लिए हितधारकों की क्षमता तथा प्रतियोगी परिचालन प्रथाएं और व्यावसायिक कार्यनीतियाँ लागू करने के लिए एसएमई की काबिलियत पर निर्भर है।
- हितधारकों के बीच संवाद और साझेदारियाँ अत्यावश्यक हैं (सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज)।
- भौतिक बुनियादी संरचना और व्यावसायिक सेवाओं में निवेश तथा नीति-निर्धारकों, प्रशासकों और सहायक संरचनाओं की कार्यान्वयन क्षमता सफलता का निर्धारण करती है।
- प्रत्येक स्तर पर एसएमई के विकास में सहभागिता के लिए महिलाओं की क्षमता को बढाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि निजी क्षेत्र के कार्यकलापों में महिलाओं का महत्वपूर्ण अंश है तथा गरीबी के उन्मूलन में उनका योगदान सर्वाधिक है।

(ख) आधुनिकीकरण और विविधीकरण : जोखिम न्यूनीकरण

13. एसएमई के आधुनिकीकरण और विविधीकरण में अर्थव्यवस्था की संरचना को परिशोधित करने के लिए नये उद्यमों का निर्माण और वर्तमान व्यवसायों का रूपांतरण, दोनों सम्मिलित हैं। नये अवसरों और व्यापार-अवरोधों में कमी की दिशा में अग्रसर हो रहे बढते वैश्वीकरण के संदर्भ में एसएमई के लिए विभिन्न भूगोलों और बाजारों में विविधीकरण करने की सख्त आवश्यकता है। विविधीकरण करनेवाले किसी भी एसएमई के लिए यह आवश्यक है कि वह अत्यधिक भिन्न परिवेश में परिचालन करने एवं संवर्धित प्रतियोगिता का सामना करने की चुनौती का सामना करने के लिए अपनी गति को तीव्र करे। उन्हें उन विभिन्न जोखिमों को कम करने की भी आवश्यकता है जो नये बाजारों और भूगोलों में विविधीकरण के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकती हैं। विविधीकरण की प्रमुख जोखिमों में से एक मुद्रा अस्थिरता जोखिम है। चूँकि मुद्रा संबंधी उतार-चढाव एसएमई को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं, अतः उनके लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण होगा कि वे अपने एक्सपोजर की रक्षा कुशल और प्रभावी तरीके से करें। एसएमई के लिए यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या उसे अपने एक्सपोजर का बचाव करने की जरूरत है तथा बचाव के लिए उसे कौन-कौन से साधन (स्वैप, ऑप्शन, वायदा संविदाएँ, मुद्रा विविधीकरण, आदि) अपेक्षित हैं।

14. बचाव के नये तरीकों की उपलब्धता के बावजूद एसमई का एक बहुत छोटा अंश ही जोखिम से बचाव के लिए विनिमय-व्यापारित फ्यूचर्स लेनदेन करता है। साथ ही, ओटीसी बाजारों में एसएमई द्वारा प्रस्तावित भाव प्रायः उच्चतर प्रीमियम से युक्त हैं। इसके अलावा, एसएमई निर्यातकों के बीच अनेक भ्रांत धारणाएँ और जागरूकता का अभाव मुद्रा डेरिवेटिव्ज बाजार से एसएमई निर्यातकों को मुद्रा संबंधी बचाव से रोक देते हैं। छोटी इकाइयों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपनी नकदी प्रवाह स्थितियों का मूल्यांकन करें तथा उनकी लाभप्रदता पर विनिमय-दर के उतार-चढाव के संभावित प्रभाव की

मात्रा का निर्धारण करें। इसके अतिरिक्त, किसी विदेशी ग्राहक के साथ निर्यात का सौदा पक्का करने से पहले एसएमई को चाहिए कि वे विनिमय-दर की घट-बढ के आधार पर अपने ग्राहक के साथ कीमत परिवर्तन करने का विकल्प रखें। अतिरिक्त रूप से निर्यात जोखिमों को न्यूनतम करने के लिए यह आवश्यक है कि एसएमई खरीदार की साख-श्रेणी-निर्धारण की रिपोर्ट प्राप्त करे, निर्यातों के लिए ऋण बीमा हासिल करे तथा कर्ज वसूली एजेंटों से व्यावसायिक सहायता लेने पर विचार करे।

(ग) वैश्वीकरण से चुनौतियाँ

15. वैश्वीकरण और व्यापार उदारीकरण ने एसएमई के लिए नये अवसर एवं चुनौतियाँ उत्पन्न कर दी हैं। वर्तमान में विकासशील और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में अधिकांश एसएमई वैश्वीकरण के लाभ प्राप्त करने में कम समर्थ अथवा असमर्थ रहे हैं तथा इस स्थिति में इसके साथ ही, वे प्रायः अपेक्षाकृत सस्ते आयातों से घरेलू बाजारों में और विदेशी प्रतिस्पर्धा के कारण दबावों का सामना करते हैं।

16. वर्धमान रूप से एसएमई अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सहभागिता को अपने टिके रहने के लिए, रोजगार निर्माण और वृद्धि के लिए संकटपूर्ण पा रहे हैं। परंतु तीव्र गति से परिवर्तनशील और अधिकाधिक जटिल वैश्विक बाजार के विकास ने फर्मों, विशेष रूप से एसएमई पर काफी दबाव भी डाल दिये हैं।

17. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सफलतापूर्वक परिचालन करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के अनौपचारिक और औपचारिक व्यापारिक संबंधो का उपयोग करते हुए दूरस्थ प्रबंध करना सीखना, विभिन्न व्यावसायिक विनियमों, प्रथाओं, संस्कृतियों और भाषाओं से परिचय प्राप्त करना, उन सभी बाजारों के लिए उपयुक्त समाधान विकसित करना जिनमें फर्म परिचालन कर रही है, अपेक्षित है। इससे व्यावसायिक प्रबंधकों के लिए चुनौतियों का सामना करना पडता है तथा उनके लिए यह अपेक्षित है कि वे केवल अपने देशी बाजार में परिचालन करने की स्थिति की तुलना में एक बृहत्तर दायरे में प्रबंधकीय क्षमताओं का प्रयोग करें अथवा उन्हें विकसित करें। इससे सरकारों (और एसएमई की सहायता करनेवाले व्यावसायिक संघों और अन्यों) के लिए भी एसएमई को अंतरराष्ट्रीय बनाने हेतु प्रोत्साहित करने तथा ऐसा करने में उनके सामने आनेवाले आंतरिक और बाह्य अवरोधों को दूर करने में उनकी सहायता करने के लिए उन्हें अधिकार, लक्ष्यीकृत सहायता कार्यक्रम और अन्य प्रोत्साहन उपलब्ध कराने में चुनौतियाँ उपस्थित होती हैं।

(घ) एसएमई व्यापार के लिए अवरोध

18. ओईसीडी-एपीईसी के एक अध्ययन के अनुसार, 'अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लिप्त एसएमई के लिए असंख्य लाभ सुप्रलेखित हैं जिनके संबंध में विपुल मात्रा में साक्ष्य है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार कार्यकलाप प्रतियोगिता और नवोन्मेषण को मजबूत करते हुए तथा नये विचारों और नई तकनीक के प्रवेश को बढाते हुए संवर्धित उत्पादकता वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार कार्यकलाप व्यवसायों को इस बात के लिए समर्थ बनाता है कि वे इस मान की संवृद्धि और अर्थव्यवस्था प्राप्त करें जिसे केवल देशी बाजार ही अकेले उपलब्ध नहीं करा सकते। सुसंगत रूप में यह पाया गया है कि लाभप्रदता, उत्पादन, मजदूरी और बिक्री परिमाणों सहित सफलता के विभिन्न उपायों का प्रयोग करते हुए गैर-निर्यातकों की तुलना में निर्यातक अधिक अच्छा प्रदर्शन करते हैं।' साथ ही, उक्त अध्ययन में यह पाया गया है कि '..व्यापार अवरोध विशेष रूप से एसएमई के लिए हानिकारक हैं क्योंकि ये अवरोध सामान्यतः उनके नियंत्रण से बाहर हैं और इन्हें पार करना कठिन है । तथा जबकि व्यापार अवरोध न केवल एसएमई को प्रभावित करते हैं, बल्कि .. यह तो एसएमई हैं जो विशेष रूप से असुरक्षित हैं और परिचालन के लिए उन्हें एक खुले और पारदर्शी परिवेश की आवश्यकता है।' एसएमई व्यापार के लिए प्रमुख अवरोधों में निम्नलिखित शामिल हैं:

क. वित्त तक पहुँच का अभाव।

ख. अंतरराष्ट्रीय बनने की क्षमता का अभाव और विदेशी व्यापार अवसरों की पहचान करने में कठिनाई।

ग. खुले और पारदर्शी व्यवसाय की आवश्यकता।

घ. परिवहन और संबंधित मदों के लिए अत्यधिक व्यय।

ङ. अत्यधिक जटिल सीमा-शुल्क अपेक्षाओं और विभिन्न अधिकार-क्षेत्रों में प्रलेखन को संचालित करने में कठिनाइयों के कारण सीमा-शुल्क-निकासी में विलंब।

च. बौद्धिक संपदा अभिग्रहण, सुरक्षा और प्रवर्तन में कठिनाई।

छ. सीमापार इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य का समर्थन करने के लिए अपर्याप्त नीतिगत / विनियामक ढाँचे , तथा

ज. अधिमानी शुल्कों और व्यापार करारों के अन्य पहलुओं का लाभ उठाने में कठिनाई।

(ङ) मानव और प्राकृतिक संसाधनों का विकास

19. एसएमई की प्रतियोगात्मकता को सुधारने के लिए मानव संसाधन विकास के मुद्दे मूलभूत तत्व हैं। अनुभवजन्य अध्ययन यह दर्शाते हैं कि मानव पूँजी संवृद्धि का एक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। व्यापार के उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण उत्पन्न प्रतियोगात्मक दबावों के साथ समायोजन करने की एसएमई की क्षमता देशी तौर पर उपलब्ध कौशल के स्तर पर निर्भर है। विकासशील देश अपनी शिक्षा

(मुख्य रूप से प्राथमिक) और प्रशिक्षण प्रणालियों में उल्लेखनीय रूप में निवेश कर रहे हैं। तथापि, शिक्षा और प्रशिक्षण की कार्यनीतियों तथा एसएमई/उद्यम विकास कार्यनीतियों के बीच संबद्धताएँ अभी भी कमजोर हैं जिसके परिणामस्वरूप नीतिनिर्धारकों और प्रशासकों के लिए दुर्बल बाजार के संकेत मिलते हैं।

20. विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणालियाँ व्यापक समाज में उद्यमशील कार्यकलापों के संबंध में जागरूकता और जानकारी विकसित करने के द्वारा उद्यमशील गतिविधियों के स्तर को प्रभावित कर सकती हैं। भारतीय संदर्भ में चिंता का एक प्रमुख क्षेत्र एसएमई की निम्न उत्पादकता और प्रबंधकीय क्षमता तथा एसएमई कर्मियों के कौशल के निम्नतर स्तर हैं। मानव संसाधन संबंधी कमियाँ भारत में एसएमई क्षेत्र की कार्यकुशलता और उत्पादकता दोनों को प्रभावित करती रही हैं। कौशल और उद्यमशीलता विकास के एक विशाल कार्यक्रम को एसएमई विकास की रीढ बनना होगा। कामगारों के कौशल का स्तर बढाने और नई प्रौद्योगिकी के अनुरूप कौशल से उन्हें परिचित कराने के लिए उद्योग संघों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिए। इसी प्रकार श्रम संबंधी कानूनों को भी सरल बनाना चाहिए। स्कूल के पाठ्यक्रमों में उद्यमशीलता का प्रशिक्षण शामिल करने की आवश्यकता है। विभिन्न अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि उद्यमशीलता के कौशल का अभाव महिला उद्यमियों के विषय में एक भारी कमी है, जिसका समाधान माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रमों में उद्यमशीलता का प्रशिक्षण सम्मिलित करने के द्वारा किया जा सकता है। यदि धारणीय रोजगार का लक्ष्य प्राप्त करना है तो कौशल और उद्यमशीलता विकास के संबंध में बडे पैमाने पर निवेश करने की आवश्यकता है।

(च) कंपनी अभिशासन

21. छोटी फर्मों के कमजोर कंपनी अभिशासन ने महत्वपूर्ण निविष्टियों की अल्प उपलब्धता के बोझ से भी युक्त होकर इन फर्मों को अत्यंत असुरक्षित बना दिया है। एसएमई में अच्छे अभिशासन की प्रथाएँ उन्हें वृद्धि करने में अथवा अतिरिक्त निवेशकों को आकर्षित करने में सहायता पहुँचाएँगी। एक लंबी अवधि से देखा जा रहा है कि पूँजी जुटाना एक ऐसी बडी चुनौती है जिसका सामना एसएमई कर रहे हैं। अच्छी कंपनी अभिशासन प्रथाओं का अभाव उनके लिए बैंकों अथवा निवेशकों से वित्त की प्राप्ति को कठिन बना देता है।

22. भारत में एसएमई द्वारा कंपनी अभिशासन ढाँचे का स्वीकरण इस क्षेत्र को वृद्धि के एक उच्चतर पथ पर ले जाने के लिए अपरिहार्य है। कंपनी अभिशासन का अभाव मुख्य रूप से कंपनी अभिशासन प्रथाओं और कंपनी के कार्यनिष्पादन पर उसके प्रभाव के बारे में जागरूकता न होने के कारण है। इस प्रकार एसएमई को सुदृढ कंपनी अभिशासन प्रथाएं अपनाने से होनेवाले लाभों के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है। एसएमई के लिए कंपनी अभिशासन संहिता को कार्यान्वित करने की भी आवश्यकता है।

(छ) स्थानीय साझेदारियाँ और समूह

23. वैश्विक प्रतियोगिता के प्रति समायोजन की आवश्यकता तथा फर्मों के स्थानिक समूहों के बल पर निर्मित हो रही समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं के उदाहरणों ने सरकारों को उद्यम समूहों के आधार पर नीतियाँ बनाने के लिए प्रेरित किया (समूह का आशय समूहों के साथ व्यवसाय की संबंधित व्यवस्था में फर्मों के संचय से है, कुछ स्थितियों में इसके अंतर्गत प्रधान रूप से एसएमई हैं, जैसे इटली के औद्योगिक जिलों में)। समूह विकास की नीतियाँ दोनों विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में प्रचुर मात्रा में बनाई गई हैं। समूहों की सदस्यता और नेटवर्क फर्मों की उत्पादकता, नवोन्मेषण की दर और प्रतियोगी कार्यनिष्पादन को बढा सकते हैं। समूह और नेटवर्क छोटी फर्मों को छोटे पैमाने के लाभ बडे पैमाने के विभिन्न लाभों के साथ जोडने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। समूहों को प्रोत्साहित करनेवाली योजनाओं और कार्यक्रमों को आगे और बढावा देने की आवश्यकता है। सीमित संसाधनों का वितरण सभी भागों में करने के बजाय उन्हें उन क्षेत्रों में लगाना बेहतर है जो प्रतिलाभों को इष्टतम बना सकें और अधिकतम संवृद्धि दे सके।

(ज) वित्त तक एसएमई की पहुँच

24. एसएमई वित्तपोषण, विशेष रूप से मध्यावधि से लेकर दीर्घावधि वित्त तक वित्तपोषण की पहचान वृद्धि और निवेश के संबंध में अपने सबसे बडे अवरोध के रूप में करते हैं। आइएफसी-मैककिनसी अध्ययन के अनुसार, उभरते बाजारों में औपचारिक एसएमई के तकरीबन 45 से 55 प्रतिशत तक (11-17 मिलियन) के लिए औपचारिक संस्थागत ऋणों अथवा ओवरड्राफ्टों तक पहुँच नहीं है यद्यपि इसकी आवश्यकता है। वित्त का यह अंतर अपेक्षाकृत अधिक बडा है जब यह देखा जाता है कि उभरते बाजारों में व्यष्टि और अनौपचारिक उद्यमों - सभी एमएसएमई के 65-72 प्रतिशत (240-315 मिलियन) - के लिए वित्त तक पहुँच का अभाव है। वित्त के अंतर का आनुपातिक आकार विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से भिन्न-भिन्न है तथा यह विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका में भयावह है। औपचारिक एसएमई के लिए ऋण-अंतराल को पाटना अनौपचारिक एसएमई की अपेक्षा कम चुनौतीपूर्ण होगा। उभरते बाजारों में औपचारिक एसएमई के करीब 70-76 प्रतिशत (18-22 मिलियन) के पास पहले से ही जमा/चेकिंग खातों के माध्यम से

बैंकिंग संबंध विद्यमान है, जबकि एसएमई के केवल लगभग 30-35 प्रतिशत (8-10 मिलियन) के लिए ही ऋण तक पहुँच है। अतः मुख्य चुनौती ऐसे एसएमई को ऋण सुविधाएं प्रदान करने में बैंकों की सहायता करने की है, जिनके पास जमा/चेकिंग खाता है, परंतु अभी ऋण तक पहुँच नहीं है। सर्वोत्तम प्रथानुसार एसएमई उधार दृष्टिकोणों के प्रचलन के साथ जोखिम भागीदारी सुविधाएँ ऐसी मुख्य मध्यस्थताएँ हैं जो एसएमई को ऋण प्रदान करने में बैंकों की सहायता कर सकती हैं। यह आवश्यक है कि ये मध्यस्थताएँ एसएमई उधार के लिए समर्थक परिवेश में वृद्धियों के साथ हों, जैसे ऋण ब्यूरो, संपार्श्विक जमानतों और दिवालियेपन की व्यवस्थाएँ।

25. ऋण वित्तपोषण के अतिरिक्त, एसएमई के पास उद्यम पूँजी निवेशकों के साथ सहयोग करने का विकल्प है। एसएमई वित्तपोषण के अन्य महत्वपूर्ण रूपों में शामिल हैं पट्टेदारी, व्यापार ऋण और कर विरामों (टैक्स ब्रेक्स) के रूप में राजकोषीय प्रोत्साहन। एसएमई की प्रतियोगात्मकता में सुधार लाने के लिए वित्त तक पहुँच अत्यावश्यक है क्योंकि एसएमई को नई तकनीकों, कुशलताओं और नवोन्मेषण में निवेश करना चाहिए। वित्त तक पहुँच से संबंधित समस्याओं का समाधान शून्य में वित्तपोषण योजनाओं अथवा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन द्वारा नहीं किया जा सकता। यह भी ध्यान देने योग्य है कि वित्त तक पहुँच से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करना केवल अकेली सरकारों की ही जिम्मेदारी नहीं है। इस दिशा में एसएमई को भी सुदृढ व्यावसायिक प्रथाएँ कार्यान्वित करने तथा अच्छी आंतरिक प्रबंध प्रणालियों : अर्थात् लेखांकन, आयोजना, वित्तीय परिचालन और मानव संसाधन प्रबंध में निरंतर निवेश करने के द्वारा पहल करने की आवश्यकता है। भारतीय संदर्भ में रिज़र्व बैंक और सरकार द्वारा किये गये विभिन्न उपायों के बावजूद देश में एसएमई क्षेत्र के विकास में एसएमई को ऋण की उपलब्धता लगातार एक प्रमुख समस्या बनी हुई है।

(झ) एसएमई पर वैश्विक वित्तीय संकट का प्रभाव

26. एसएमई द्वारा सामना की गई वित्त तक पहुँच की समस्या वैश्विक वित्तीय संकट द्वारा अत्यंत तीव्र कर दी गई है क्योंकि एसएमई और उद्यमकर्ताओं को दोहरा आघात सहना पडा है : माल और सेवाओं के लिए माँग में प्रबल गिरावट तथा ऋण के विषय में तंगी, जिन्होंने उनके नकदी प्रवाहों को तीव्रता से प्रभावित किया । सरकारों ने सामान्यतः तीन प्रकार के उपायों द्वारा प्रतिक्रिया जताई है जिनका लक्ष्य था : i) विक्रय को समर्थन देना और एसएमई की कार्यशील पूँजी के ह्रास को रोकना; ii) चलनिधि तक एसएमई की पहुँच को बढाना; iii) अपने निवेश स्तर को बनाये रखने में एसएमई की सहायता करना। यूरो क्षेत्र के कर्ज संकट ने भी एसएमई को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। फिर भी, भारत के संदर्भ में हाल के महीनों में अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपये के तीव्र मूल्यह्रास ने एसएमई के निर्यातों को अधिक आकर्षक बनाया, जिससे बाह्य माँग में तीव्र पतन के प्रतिकूल प्रभाव को निष्प्रभाव करने में सहायता मिलनी चाहिए। निर्यात के मोर्चे पर इस कठिन दौर में एसएमई के लिए यह अनिवार्य होगा कि स्थानीय बाजारों में विद्यमान विशाल माँग से लाभ उठाये। एमएसएमई स्थानीय माँग और उपभोग निर्मित करने एवं वैश्विक मंदी का मुकाबला करने के लिए भी सर्वोत्तम माध्यम हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जी20 अपनी वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी (जीपीएफआइ)(दिसंबर 2010) के अंतर्गत एसएमई वित्त उप समूह के माध्यम से एसएमई वित्त के संबंध में कार्य का नेतृत्व कर रहा है।

ग. भारतीय संदर्भ

27. संवृद्धि को प्रोत्साहन देने और रोजगार का संवर्धन करने में एसएमई क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने व्यष्टि, छोटे और मझौले उद्यम विकास अधिनियम, 2006 बनाया। देश में संतुलित, धारणीय, अधिक साम्य और अंतर्विष्ट वृद्धि प्राप्त करने के लिए भारत में सरकारी नीति ने इस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी। एमएसएमई क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही कुछ प्रमुख बाधाओं तथा भारत सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा किये गये महत्वपूर्ण उपायों का विवरण नीचे दिया गया है।

28. जैसा कि अन्यत्र परिचालित एसएमई के संबंध में लागू है, भारत में भी एमएसएमई की वृद्धि और विकास के लिए समय पर और पर्याप्त ऋण तक पहुँच अत्यावश्यक है। इस क्षेत्र को, खास तौर से व्यष्टि यूनिटों को संवर्धित ऋण की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए प्रधान मंत्री के एमएसएमई संबंधी कार्यदल (अध्यक्ष : श्री टी. के. ए. नायर, प्रधान सचिव, भारत सरकार) की सिफारिशों के आधार पर बैंकों को सूचित किया गया है कि वे व्यष्टि और छोटे उद्यमों को ऋण में 20 प्रतिशत की वर्षानुवर्ष वृद्धि प्राप्त करें। एमएसई क्षेत्र को दिये गये अग्रिमों को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों के रूप में माना जाता है तथा रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंकों से अपेक्षित है कि वे 2012-13 तक एमएसई क्षेत्र को अग्रिमों का कम से कम 60 प्रतिशत व्यष्टि उद्यमों को प्रदान करें तथा व्यष्टि उद्यम खातों की संख्या में 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि प्राप्त करें। रिज़र्व बैंक बैंकों द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति की गहन निगरानी तिमाही आधार पर कर रहा है और बैंकों को सूचित किया गया है कि वे व्यष्टि इकाइयों को अपने उधार में वृद्धि करने के लिए कार्यनीतियाँ बनाएँ। फिर भी, एमएसएमई क्षेत्र के लिए प्रतियोगी होने की आवश्यकता है तथा उसे वित्तीय सहायता प्राप्त ब्याज दरों की आशा नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह उनकी अधिक सहायता नहीं कर सकता जो इस कारण से है कि

सारणी 1 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा एमएसई क्षेत्र को बकाया ऋण

(खातों की संख्या - मिलियन में)(राशि बिलियन ₹)

वर्ष	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		विदेशी बैंक		सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	
अंतिम शुक्रवार	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
मार्च 2008*	3.967	1,511.374	0.819	469.118	0.065	154.892	4.851	2,135.386
मार्च 2009	4.115 (3.73%)	1,914.083 (26.64%)	0.678 (-17.21%)	466.563 (0.54%)	0.058 (-10.78%)	180.634 (16.61%)	4.851 (कोई परिवर्तन नहीं)	2,561.280 (19.94%)
मार्च 2010#	7.217 (75.38%)	2,763.189 (44.36%)	1.131 (66.81%)	648.247 (38.94%)	0.157 (170.69%)	211.470 (17.07%)	8.505 (75.32%)	3,622.907 (41.44%)
मार्च 2011	7.398 (2.51%)	3,694.30 (33.70%)	1.718 (51.90%)	881.16 (35.93%)	0.186 (18.47%)	209.81 (-0.78%)	9.302 (9.37%)	4,785.27 (32.08%)

* *एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अनुसार क्षेत्र की परिभाषा में परिवर्तन बैंकों को 2007 में सूचित किया गया। # खुदरा व्यापार को सेवा क्षेत्र में सम्मिलित किया गया।
टिप्पणी : कोष्ठक में आंकडे वर्षानुवर्ष प्रति वर्ष वृद्धि/कमी को निर्दिष्ट करते हैं ।
स्रोत : अनुसूचित वाणिज्य बैंक ।

ऋण की लागत उनकी समग्र लागत का अपेक्षाकृत एक छोटा अंश है। सारणी 1 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को बकाया ऋण का विवरण दिया गया है।

29. एमएसएमई क्षेत्र के लिए वित्त तक पहुँच की समस्या को देश में वित्तीय वंचन की समस्या के साथ आंतरिक रूप से संबद्ध किया गया है। ऋण सुविधाओं के माध्यम से एमएसएमई संबंधी अपना कवरेज तेजी से बढाने की बैंकों की क्षमता देश के अब तक बैंक सुविधाओं से रहित खंडों तक अपनी पहुँच को विस्तृत करने की उनकी क्षमता पर निर्भर होगी। वित्तीय वंचन की समस्या एमएसएमई क्षेत्र में विशेष रूप से तीव्र है जो एमएसएमई क्षेत्र की चौथी गणना द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकडों से विदित है जिससे पता चलता है कि यूनिटों के केवल 5.18 प्रतिशत ने ही संस्थागत स्रोतों के माध्यम से वित्त प्राप्त किया था और इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र का 2.05 प्रतिशत वित्त के लिए गैर-संस्थागत स्रोतों पर आधारित है। फिर भी, यूनिटों के शेष 92.77 प्रतिशत के लिए वित्त तक कोई पहुँच नहीं थी अथवा वे आंतरिक (सेल्फ) वित्त पर निर्भर थे। इस संबंध में भारत सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा की गई विभिन्न पहलों, जैसे व्यावसायिक प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल का स्वीकरण, अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंडों में शिथिलता, सरलीकृत शाखा प्राधिकरण, वित्तीय समावेशन की बोर्ड द्वारा अनुमोदित योजनाओं की तैयारी, बैंक सुविधा से रहित ग्रामीण केंद्रों में 25 प्रतिशत नई शाखाओं का अनिवार्य रूप से प्रारंभ, बैंकों द्वारा वित्तीय समावेशन योजनाओं की तैयारी, आदि से यह आशा है कि इनके कारण देश में वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में गति आएगी तथा यह प्रत्याशित है कि बैंक ऋण तक बेहतर पहुँच द्वारा एमएसएमई क्षेत्र इसके लाभार्थियों में सम्मिलित होगा।

30. बैंक ऋण के अलावा, अत्यधिक वृद्धि की संभावना वाले एवं प्रारंभ किये जानेवाले एसएमई के वित्तपोषण के लिए *उद्यम/जोखिम पूँजी* हेतु बढती हुई आवश्यकता है। भारत सरकार ने केंद्र बजट 2012-13 में एसएमई क्षेत्र को ईक्विटी की उपलब्धता बढाने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के पास 5,000 करोड रुपये की एक भारत अवसर उद्यम निधि (इंडिया ऑपरच्यूनिटीज वेंचर फंड) गठित करने का प्रस्ताव किया है। ईक्विटी पूँजी तक पहुँच एक और वास्तविक समस्या है। वर्तमान में इस क्षेत्र को ईक्विटी पूँजी की उपलब्धता प्रायः नगण्य है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एमएसएमई के लिए एक एक्सचेंज स्थापित करने हेतु बंबई शेयर बाजार (बीएसई) और राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई) को अनुमति दी है, जो पूँजी बाजारों से निधियाँ जुटाने के लिए भारतीय एसएमई को सहायता प्रदान करेगा।

31. एसएमई क्षेत्र अकसर *कुशल श्रमिकों की अनुपलब्धता* की बाधा महसूस करता है। वास्तव में यह हास्यास्पद है कि एक बिलियन से अधिक व्यक्तियों की आबादी वाले राष्ट्र में कुशल श्रमिकों की कमी है। भारत के लिए जनसंख्या की अपनी अनूठी लाभदायक स्थिति से लाभ उठाने की आवश्यकता है (उसके पास एक बहुत बडी युवा शक्ति है)। भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें वर्षों से अनेक योजनाएं और कार्यक्रम लागू कर रही हैं। ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआइ) भी इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। कौशल-विकास संबंधी प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय परिषद द्वारा निर्धारित समग्र लक्ष्य के अनुरूप एमएसएमई मंत्रालय और उसके अधीन कार्यरत एजेंसियों ने 2011-12 के दौरान 4.78 लाख व्यक्तियों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम संचालित करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा, यह मंत्रालय देश में स्व-रोजगार के अवसरों एवं सवेतन रोजगार के अवसरों के विकास के लिए अपने विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा वर्ष 2012-13 में 5.72 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखता है। सरकारी एजेंसियों द्वारा की गई पहलों के

अतिरिक्त इस उद्योग को चाहिए कि वह प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की प्रक्रिया द्वारा एमएसएमई में रोजगार हेतु उपलब्ध कराने के लिए उचित रूप में कुशलताप्राप्त श्रमिक-शक्ति के निर्माण में योगदान करे।

32. उपर्युक्त कारकों के अलावा प्राप्य राशियों की विलंबित वसूली का सामना करने के लिए *फैक्टरिंग सेवाओं* को बढावा देने हेतु प्रयास जारी हैं जो एमएसएमई की निधियों के पुनर्निवेश और उनके व्यावसायिक परिचालनों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। फैक्टरिंग सेवाओं को सुसाध्य बनाने के लिए संसद ने हाल ही में फैक्टरिंग विनियमन विधेयक पारित किया है जो व्यष्टि और छोटे उद्यमों के लिए भुगतान में विलंब और चलनिधि समस्याओं का समाधान करेगा। उक्त फैक्टरिंग विधेयक फैक्टरिंग के लिए विधायी परिवेश का निर्माण करेगा और इस प्रक्रिया को अधिक आसान बनाएगा।

33. लघु उद्योगों की *दुर्बलता* की बढती प्रासंगिकता अभी चिंता का एक और क्षेत्र है। जब दुर्बलता लंबी अवधि तक बनी रहती है तब वह यूनिटों को बंद करने की स्थिति और बेरोजगारी का कारण बनती है। लघु उद्योग इकाइयों की नश्वरता अधिक है। इसके अपेक्षाकृत अधिक व्यापक निहितार्थ हैं जिनमें उधार देनेवाली संस्थाओं की निधियों की अवरुद्धता, दुर्लभ सामग्री संसाधनों की क्षति और रोजगार की हानि शामिल हैं। मार्च 2010 और मार्च 2011 की समाप्ति पर दुर्बल लघु और व्यष्टि उद्यमों की स्थिति दर्शानेवाले आंकडे नीचे दिये गये हैं:

34. दुर्बलता की समय पर पहचान अत्यावश्यक है क्योंकि इस संबंध में किसी भी विलंब के कारण संभावित रूप से अर्थक्षम दुर्बल इकाइयों के पुनरुत्थान की संभावना घट जाती है। दुर्बल इकाई के रूप में किसी यूनिट की पहचान करने की प्रक्रिया में शीघ्रता लाने के लिए बीमार एसएमई के पुनर्वास संबंधी कार्यदल की सिफारिशों के अनुरूप दुर्बलता की वर्तमान परिभाषा में संशोधन करने का एक प्रस्ताव भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचाराधीन है। चूँकि यह पाया गया है कि दुर्बल एमएमएसई के पुनर्वास का कार्य अनेक मामलों में प्रवर्तकों के अंशदान की अनुपलब्धता के कारण नहीं किया जा सका है, अतः दुर्बल एमएसएमई के पुनर्वास के लिए एक पुनर्वास निधि गठित करने की सिफारिश रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार को की है। सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को भी सूचित किया गया है कि वे एमएसई ऋण नीति, पुनर्संरचना/पुनर्वास नीति और अनर्जक ऋणों की वसूली के लिए गैर-विवेकाधीन एकबारगी निपटान योजना की समीक्षा करें और निदेशक-मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित रूप में उन्हें लागू करें।

35. दुर्बलता का प्रबंध करने हेतु अलाभकारी यूनिटों के लिए एक *निकास मार्ग* आवश्यक है। एमएसएमई के लिए भारत में उपलब्ध वर्तमान व्यवस्था पुरानी है। भारत में व्यावसायिक विफलता को एक कलंक के रूप में देखा जाता है जो व्यक्तिगत निर्माणात्मकता और देश में विकास को प्रतिकूल रूप में प्रभावित करता है। मौजूदा कानूनों को इस प्रकार तीव्र करना होगा कि जिससे अलाभकारी व्यवसायों के कुशल परिसमापन के लिए व्यवस्था की जा सके।

36. एसएसई की प्रतियोगात्मकता को सुनिश्चित करने के लिए यह अत्यावश्यक है कि *बुनियादी संरचना की उपलब्धता,* प्रौद्योगिकी और कुशल श्रमशक्ति वैश्विक प्रवृत्तियों के अनुरूप हों। उन क्षेत्रों में जहाँ एसएमई स्थित हैं, बिजली, पानी, सडकों आदि सहित बुनियादी संरचना की स्थिति अपर्याप्त और अनवलंब्य है। इसके अलावा, भारत में एमएसई क्षेत्र की विशेषता, कुछ अपवादों के साथ, निम्न-स्तरीय प्रौद्योगिकी है जो उभरते वैश्विक बाजार में एक अवरोध का काम करती है। एमएसएमई के संबंध में प्रधान मंत्री के कार्यदल ने एमएसएमई के कार्य से संबंधित विभिन्न उपायों की सिफारिश की, जैसे- ऋण, विपणन, श्रम, निकास नीति, बुनियादी संरचना/प्रौद्योगिकी/कौशल विकास और कराधान। एक समयबद्ध तरीके से उक्त सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी भारत सरकार द्वारा उच्चतम स्तर पर की जा रही है।

37. देश में एमएसई की उत्पादकता और प्रतियोगात्मकता एवं क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए मुख्य रणनीति के रूप में सरकार ने समूह दृष्टिकोण को अपनाया है। वर्ष 2011-12 के दौरान (31 जनवरी 2012 तक) 8 नये समूहों को नैदानिक अध्ययन के लिए, 5 को हलकी मध्यस्थता के लिए, तथा 4 को सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) स्थापित करने के लिए लिया गया। इसके साथ, कुल 477 समूहों को नैदानिक अध्ययन, हलकी मध्यस्थता, और कठोर मध्यस्थता के लिए लिया गया है। इन समूहों के अतिरिक्त, 134 बुनियादी संरचना विकास परियोजनाएँ भी प्रारंभ की गई हैं।

(राशि बिलियन ₹)

समाप्त माह/ वर्ष	दुर्बल यूनिटों की कुल संख्या		संभावित रूप से व्यवहार्य		अव्यवहार्य		व्यवहार्यता का निर्णय अभी किया जाना है		पोषण के अंतर्गत रखे गए यूनिट	
	यूनिट	बकाया	यूनिट	बकाया	यूनिट	बकाया	यूनिट	बकाया	यूनिट	बकाया
मार्च 2010	77,723	52.33	9,160	9.65	64,403	38.91	4,160	3.77	2,360	4.79
मार्च 2011	90,141	52.11	7,118	11.13	76,518	35.89	6,505	5.09	4,698	5.18

ई. समापन टिप्पणी

38. उभरते बाजारों के आर्थिक और सामाजिक विकास में एसएमई एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं तथा साम्यिक संवृद्धि और रोजगार के निर्माण को प्रोत्साहित करने की दिशा में उनके योगदान को देखते हुए आगे उनकी भूमिका को और मजबूत करने की आवश्यकता है। एसएमई की प्रतियोगात्मकता को बढाना अनिवार्य है जिसके लिए समर्थक कानूनी, विनियामक और प्रशासनिक परिवेश का निर्माण, वित्त तक पहुँच तथा सक्षम संस्थागत संरचनाओं और सबसे महत्वपूर्ण तौर पर श्रमशक्ति अपेक्षित हैं।

39. भारतीय अर्थव्यवस्था में संवृद्धि का अगला स्तर आवश्यक रूप से एमएसएमई क्षेत्र से आना होगा जो भारत की संवृद्धि दर को लगभग 7-8 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से मध्यावधि से लेकर दीर्घावधि में 9-10 प्रतिशत के वांछित स्तर तक तथा उससे भी अधिक बढ़ा सकता है। चीन की भाँति भारत को एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र (हब) रूपांतरित करने के लिए भारतीय एसएमई को अनिवार्यतः परिवर्तन को अपनाना होगा ताकि वे टिके रह सकें तथा वैश्विक प्रतियोगी परिवेश में अपने लिए स्थान बना सकें। सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन हितधारकों की अभिवृत्ति और लघु उद्यम विकास के कार्य में लगी हुई संस्थाओं की मनस्थिति में अपेक्षित है। वैश्वीकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए। यह केवल निरंतर प्रौद्योगिकीगत नवोन्मेषण, गुणवत्ता में सुधार, वित्त तक बेहतर पहुँच, नये भूगोलों और बाजारों में विविधीकरण, बेहतर जोखिम प्रबंध और कंपनी अभिशासन प्रथाओं के स्वीकरण, बेहतर मानव संसाधान प्रबंध, बेहतर बुनियादी संरचना, निवेश वातावरण में सुधार, आदि के माध्यम से उद्यमों की कार्यकुशलता और प्रतियोगात्मकता को बढ़ाने के द्वारा ही संभव है। एसएमई के विकास में सभी हितधारकों अर्थात् सरकार, रिज़र्व बैंक तथा एमएसएमई संघों/मंडलों और बडे उद्योग संघों को चाहिए कि वे एसएमई को एक उच्चतर और धारणीय वृद्धि के पथ पर ले जाने के लिए उन्हें एक समर्थक परिवेश उपलब्ध कराने के कार्य की गति बढ़ाएँ। एसएमई को भी चाहिए कि वे बड़े निगमों अथवा भविष्य के बहुराष्ट्रीय निगमों के रूप में परिवर्तित होने की अपनी स्वाभाविक प्रगति में जिन संभावित खतरों का सामना करना पडता है उनसे बचकर सुरक्षित रहते हुए उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए अपनी ओर से कठोर परिश्रम करें।

इस सभा (कांक्लेव) की पूर्ण सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएँ।

संदर्भ

बनर्जी पार्थसारथी (2005), भारत में एसएमई में कंपनी अभिशासन और सक्षमता, *सीएसीसीआइ जर्नल,* खंड 1

बेरी आल्बर्ट (2007), *अर्थव्यवस्था में एसएमई का महत्व,* लघु और मझौले उद्यमों के कराधान पर आइटीडी वैश्विक सम्मेलन।

ब्लैकली, ई.जे. और ब्राडशा, टी.के. (2002), *स्थानीय आर्थिक विकास की आयोजना : सिद्धांत और व्यवहार,* सेज प्रकाशन।

चक्रवर्ती डॉ. के. सी. (2012), 'वित्तीय समावेशन और संवृद्धि के लिए एमएसएमई का सशक्तीकरण - बैंकों और उद्योग संघों की भूमिका', एसएमई बैंकिंग कांक्लेव 2012 में भाषण।

भारत सरकार (2010), *एमएसएमई संबंधी प्रधान मंत्री के कार्यदल की रिपोर्ट* (अध्यक्ष : श्री टी. के. ए. नायर), *जनवरी ।*

भारत सरकार (2011), *वार्षिक रिपोर्ट,* 2010-11, व्यष्टि, मझौले और लघु उद्यम मंत्रालय।

भारत सरकार, *आर्थिक सर्वेक्षण, 2011-12 ।*

जी20 सीओल शिखर सम्मेलन (अक्तूबर 2010), विकासशील विश्व में वित्तीय सेवाओं तक एसएमई की पहुँच को बढाना।

वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक साझेदारी (जीपीएफआइ) वेबसाइट, एसएमई वित्त संबंधी उप समूह, जी20।

मालेक्की, ई.जे. (1997), *प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास : स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगात्मकता का गति-विज्ञान,* लांगमैन, लंदन।

मारकू वितनिन, 'मौजूदा एसएमई का आधुनिकीकरण और विविधीकरण', *ओईसीडी आलेख।*

मेटकाफ, जे.एस.आर. रामलोगन और ई. उयरा (2003), 'आर्थिक विकास और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया', कान्फरेन्सिया आंतरनासियोनाल सोब्र सिस्तेमास द इनोवासाव ए एस्त्रातेजियास द देजेन्वोल्विमेंतो पारा ओ तेर्सियेरो मिलेनियो में प्रस्तुत आलेख, नवंबर, पृ. 1-31 ।

मेयेर-स्टैमेर, जे. (1995), 'व्यष्टि-स्तरीय नवोन्मेषण और प्रतियोगात्मकता', *वर्ल्ड डेवलपमेंट,* खंड 23, पृ. 143-148 ।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में उद्यमशीलता और नवोन्मेषी एसएमई को बढावा देना : एक अधिक उत्तरदायी और समावेशी वैश्वीकरण की दिशा में, इस्तांबुल, तुर्की 3-5 जून 2004, लघु और मझौले आकार के उद्यमों (एसएमई) के लिए उत्तरदायी मंत्रियों का द्वितीय ओईसीडी सम्मेलन।

भारतीय रिज़र्व बैंक, *दुर्बल एसएमई के पुनर्वास संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट* (अध्यक्ष : डॉ. के. सी. चक्रवर्ती)।

जिम्मेरमान, मोनिका ए., बारस्की, डेविड, और ब्राउदर्स, कीथ डी., 'नेटवर्क, एसएमई और अंतरराष्ट्रीय विविधीकरण', *दी मल्टीनेशनल बिजनेस रिव्यू, खंड 17,* नंबर 4।